रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2008/अग्रहायण 14, 1930
No. 641] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2008/AGRAHAYANA 14, 1930

## पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2008

**सा.का.नि. 838(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग (अस्थायी पुल) नियम 1964, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए फीस वसूल करना) नियम 1997, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क-लोक वित्त पोषित परियोजना) नियम, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम 1997 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों के सेक्शनों, स्थायी पुलों, उपमार्गों और सुरंगों के उपयोग के लिए फीस के संग्रहण हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व निष्पादित करारों और संविदाओं और आमंत्रित निविदाओं को लागू नहीं होंगे।

2. **परिभाषाएं**-(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है;

(ख) 'आधार वर्ष' से 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि अभिप्रेत है;

(ग) 'उपमार्ग' से किसी कस्बा या नगर से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई सेक्शन अभिप्रेत है;

(घ) **'रियायतग्राही'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके साथ अधिनियम की धारा 8 क के अधीन करार किया गया है ;

(ड.) **'उत्थापित राजमार्ग'** से राष्ट्रीय राजमार्ग का ऐसा सेक्शन अभिप्रेत है जिसे पीयरों या स्तंभों की सहायता से भूमि स्तर से ऊपर उठाया गया है ;

(च) **'निष्पादन प्राधिकारी'** से अधिनियम की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) **'एक्सप्रेस मार्ग'** से तीव्र गति के यातायात के लिए उपयुक्त और नियंत्रित पहुंच सहित विभाजित वहन मार्ग वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अभिप्रेत है ;

(ज) **'वित्तीय वर्ष'** से किसी वर्ष की 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(झ) किसी यान के संबंध में **'सकल यान भार'** से यान के कुल भार और मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन उस यान के लिए यथा अनुज्ञेय रजिस्टरीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्टीकृत भार अभिप्रेत है ;

(ञ) **'लेन'** से मुख्य वहन मार्ग का भाग बनने वाली और तीन मीटर और पचास सैंटीमीटर की न्यूनतम चौड़ाई वाली लेन अभिप्रेत है ;

(ट) **'यांत्रिक यान'** से अपनी शक्ति के अधीन चलने वाला कोई यान अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन यथा परिभाषित मोटर यान भी है ;

(ठ) **'अधिसूचना'** से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ड) **'प्राइवेट विनिधान परियोजना'** से यथास्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से संबंधित परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए रियायतग्राही के साथ कोई करार किया गया है ;

(ढ) **'लोक वित्त पोषित परियोजना'** से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो उपर्युक्त खंड (ड) में यथा परिभाषित प्राइवेट विनिधान परियोजना नहीं है और इसके अंतर्गत ऐसी प्राइवेट विनिधान परियोजना भी है, जिसके संबंध में करार समाप्त हो गया है ;

(ण) **'पथकर प्लाजा'** से फीस के संग्रहण के लिए बनाया गया कोई भवन, संरचना या बूथ अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

3. **फीस का उद्ग्रहण** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के, यथास्थिति, किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग बनने वाली सुरंग के उपयोग के लिए फीस उद्ग्रहीत कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी लोक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग को ऐसी फीस या उसके भाग के उद्ग्रहण से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट प्रदान कर सकेगी ।

(2) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन उद्ग्रही फीस का संग्रहण लोक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के पूरा होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर प्रारंभ होगा ।

(3) प्राइवेट विनिधान परियोजना की दशा में, उप-नियम (1) के अधीन उद्ग्रही फीस का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा किए गए करार के निबंधनों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए दुपहिया, तिपहिया, ट्रेक्टरों और पशु-चालित यानों के लिए कोई फीस उद्ग्रही नहीं की जाएगी ;

परंतु तिपहिया, ट्रेक्टरों और पशु-चालित यानों को, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के स्थान पर कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है :

परंतु यह और कि जहां सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है और किसी दुपहिया का स्वामी, चालक या उसका भारसाधक व्यक्ति यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग कर रहा है तो उससे कार पर उद्ग्रही फीस का पचास प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण** 1 – इस नियम के प्रयोजनों के लिए (क) 'वैकल्पिक सड़क' से ऐसी अन्य सड़क अभिप्रेत है जिसका वहन मार्ग दस मीटर से अधिक चौड़ा है और जिसकी लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग के उस सेक्शन की तत्समान लंबाई के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

(ख) 'सर्विस सड़क' से राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन के समानांतर चलने वाली सड़क अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के उस सेक्शन से संलग्न भूमि के लिए पहुंच प्रदान करती है ।

(5) इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फीस को निकटतम पाँच रुपए के गुणांक में पूर्णांकित और उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

**4. फीस की आधार दर** – (1) लोक वित्त पोषित परियोजना या प्राइवेट विनिधान परियोजना द्वारा निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस की दर समान होगी ।

(2) आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार या अधिक लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर, ऐसे सेक्शन की लंबाई को निम्नलिखित दरों से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगी अर्थात् :-

| यान का प्रकार | फीस की प्रति किमी. आधार दर (रुपए में) |
|---|---|
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान | 0.65 |
| हल्का वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक | 2.20 |
| भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छः धुरी ) | 3.45 |
| विशाल आकार के यान (सात या अधिक धुरी ) | 4.20 |

**स्पष्टीकरण** – इस नियम के प्रयोजनों के लिए :

(क) 'कार' या 'जीप' या 'वैन' या 'हल्का मोटर यान' से ऐसा यांत्रिक यान अभिप्रेत है जिसका सकल यान भार सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक नहीं है या मोटर यान अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत यात्री वहन क्षमता चालक को छोड़कर बारह से अधिक नहीं है ;

(ख) 'हल्का वाणिज्यिक यान' या 'हल्का माल यान' या 'मिनी बस' से सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक किंतु बारह हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार या मोटर यान अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बारह से अधिक किंतु बत्तीस से कम यात्री वहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक यान अभिप्रेत है ;

(ग) 'ट्रक' या 'बस' से बारह हजार किलोग्राम से अधिक किंतु बीस हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार या मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथाविनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक यात्री वाहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक यान अभिप्रेत है ;

(घ) 'भारी निर्माण मशीनरी' या 'अर्थ मूविंग उपस्कर' या 'बहुधुरीय यान' से भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या तीन से छह धुरी वाले बहुधुरीय यान सहित बीस हजार

IndiaCode

किलोग्राम से अधिक किंतु साठ हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार वाला यान अभिप्रेत है ; और

(ङ.) 'विशाल आकार के यान' से सात या अधिक धुरियों वाला यांत्रिक यान या ऐसा यान अभिप्रेत है जिसका सकल यान भार साठ हजार किलोग्राम से अधिक है ।

(3) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन और जिस पर उन्नयन के लिए औसत विनिधान एक करोड़ रु0 प्रति किलोमीटर से अधिक हो गया है, के उपयोग के लिए फीस की दर नियम 4 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस की दर का साठ प्रतिशत होगी ।

(4) दस करोड़ रुपए से अधिक लागत पर निर्मित स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग हेतु आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की दर निम्नानुसार होगी :-

| फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति फेरा रुपए) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लागत (करोड़ रु0) | कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान | हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस | ट्रक या बस | भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान | विशाल आकार के यान |
| 10 से 15 | 5 | 7.50 | 15 | 22 | 30 |
| प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक | 1 | 1.50 | 3 | 4.50 | 6 |
| प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक | 0.75 | 1.15 | 2.25 | 3.40 | 4.50 |
| प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, दो सौ करोड़ रुपए से अधिक | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3 |

IndiaCode

परंतु उस राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन के लिए जिस पर पचास करोड़ रु0 या अधिक लागत वाला स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग स्थित है, फीस की संगणना करते समय ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे सेक्शन की लंबाई में से अलग कर दिया जाएगा और ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग और सुरंग के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का उद्ग्रहण किया जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लागत पचास करोड़ रुपए से कम है तथा उक्त स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन का भाग बनता है वहां ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के लिए फीस की उपर्युक्त दर के बजाए नियम 4 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस की दर लागू होगी ।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, -

(क) प्राइवेट विनिधान परियोजना की लागत, रियायतग्राही से बोली आमंत्रित करने से पूर्व निष्पादन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित लागत होगी ;

(ख) लोक वित्त पोषित परियोजना की लागत, उसके पूरा होने के छह मास पूर्व निष्पादन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित लागत होगी ।

5. फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण – (1) नियम 4 में विनिर्दिष्ट दरें 1 अप्रैल, 2008 से प्रशमन के बिना प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी और बढ़ाई गई ऐसी दर आगामी वर्षों के लिए आधार दर समझी जाएगी ।

(2) लागू आधार दरें 6 जनवरी, 2007 को समाप्त होने वाले सप्ताह (अर्थात् 208.7) और उस वर्ष की 1 जनवरी जिसमें ऐसा संशोधन किया जा रहा है, को या उसके ठीक पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह के बीच थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाएंगी किंतु ऐसा पुनरीक्षण थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि के चालीस प्रतिशत तक सीमित होगा ।

(3) फीस की लागू दर अवधारित करने का सूत्र निम्नलिखित होगा :-

$$\text{फीस की लागू दर} = \text{आधार दर} + \text{आधार दर} \times \frac{\text{थोक कीमत सूचकांक क} - \text{थोक कीमत सूचकांक ख}}{\text{थोक कीमत सूचकांक ख}} \times 0.4$$

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) फीस की लागू दर, प्रयोक्ता द्वारा संदेय दर होगी ;

(ख) आधार दर, नियम 5 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 4 में विनिर्दिष्ट दर होगी ;

(ग) थोक कीमत सूचकांक क से इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है ; और

(घ) थोक कीमत सूचकांक ख से 6 जनवरी, 2007 को समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अर्थात् 208.7 अभिप्रेत है ।

दृष्टांत :

यदि 5 जनवरी, 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक कीमत सूचकांक (अर्थात् 216.6) को लागू करके वर्ष 2008-09 के लिए पुनरीक्षण किया जाना है तो कार, जीप या वैन के लिए दर नीचे संगणित किए गए अनुसार 0.6796 होगी :

फीस की लागू दर : $0.6695 + 0.6695 \times \{\frac{216.6 - 208.7}{208.7}\} \times 0.4 = 0.6796$

(4) इस नियम के अधीन फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगा ।

6. फीस का संग्रहण – (1) इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस पथकर प्लाजा पर यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत की जाएगी ।

(2) प्रत्येक यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति पथकर प्लाजा पार करने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

(3) इन नियमों के अधीन संग्रहीत फीस का संदाय नकद रूप में या स्मार्ट कार्ड के उपयोग द्वारा या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या अन्य समान युक्ति पर किया जाएगा :

परंतु स्मार्ट कार्ड के उपयोग द्वारा या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी अन्य युक्ति का प्रयोग करके फीस का संदाय करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा ।

(4) यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति जो फीस के संदाय के लिए ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी युक्ति की संस्थापना का चयन करता है, ऐसी संस्थापना के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के पास उपस्कर की लागत के समतुल्य प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप करेगा और ऐसे प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा ।

(5) नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन ऐसी फीस प्राप्त करने वाला व्यक्ति यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को एक रसीद उसमें उस फीस की प्राप्ति की तारीख और समय, प्राप्त की गई कुल रकम और उस यान का वर्ग जिसके लिए फीस प्राप्त की गई है, विनिर्दिष्ट करते हुए जारी करेगा :

परंतु जहां फीस का संदाय, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी अन्य युक्ति पर किया जाता है, वहां रसीद केवल मांग पर ही जारी की जाएगी ।

(6) फीस का संग्रहण, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी और रियायतग्राही द्वारा किए गए करार के निबंधनों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्थायी रूप से किया जाएगा ।

(7) लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा अपने पदधारियों के माध्यम से या किसी ठेकेदार के माध्यम से किया जाएगा ।

7. फीस का प्रेषण और विनियोजन (1) लोक वित्त पोषित परियोजनाओं की दशा में, प्रत्येक निष्पादन प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अधीन संग्रहीत फीस केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाएगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी या सभी निष्पादन प्राधिकारियों को उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए संपूर्ण फीस या उसके किसी भाग को विनियोजित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।

परंतु यह और कि प्राइवेट विनिधान परियोजनाओं की दशा में इन नियमों के उपबंधों के अधीन संग्रहीत फीस रियायतग्राही द्वारा, ऐसे रियायतग्राही द्वारा किए गए करार के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन अपनी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए विनियोजित की जाएगी ।

(2) प्रत्येक निष्पादन प्राधिकारी नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन निष्पादन प्राधिकारी द्वारा विनियोजित किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई रकम से अधिक संग्रहीत फीस की रकम को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रशासनिक और प्रबंधन व्यय सहित संग्रहीत रकम और फीस के संग्रहण के संबंध में उपगत व्यय दर्शित करने वाले वार्षिक विवरण के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा प्रशासनिक और प्रबंधन व्यय निर्धारित करेगी जिन्हें निष्पादन प्राधिकारी द्वारा काटे जाने और अपने पास प्रतिधारित किए जाने को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

IndiaCode

8. **पथकर प्लाजा का अवस्थापन** – (1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से दस किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पथकर प्लाजा स्थापित करेगा :

परंतु निष्पादन प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से दस किलोमीटर की दूरी के भीतर किंतु किसी भी स्थिति में ऐसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से पांच किलोमीटर के भीतर नहीं, पथकर प्लाजा स्थापित कर सकेगा या पथकर प्लाजा स्थापित करने के लिए रियायतग्राही को अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि यदि, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का निर्माण मुख्यतः ऐसी नगर पालिका या नगर क्षेत्र के निवासियों के उपयोग के लिए नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं से पाँच किलोमीटर के भीतर किया जाता है वहां पथकर प्लाजा, नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा ।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी सेक्शन पर और एक ही दिशा में साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकेगा या स्थापित करने के लिए रियायतग्राही को अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसा पथकर प्लाजा दूसरे पथकर प्लाजा से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा, यदि ऐसा पथकर प्लाजा स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के लिए फीस के संग्रहण के लिए है ।

9. रियायत – (1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, अनुरोध किए जाने पर, नियम 9 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पथकर प्लाजा पार करने के लिए बहु-यात्राओं हेतु पास प्रदान कर सकेगा ।

(2) यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग करता है, ऐसे पास का चयन कर सकता है तथा उसे निम्नलिखित दरों के अनुसार फीस का संदाय करना होगा अर्थात् :-

| संदेय धनराशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
|---|---|---|
| एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई | पचास | संदाय की तारीख से एक मास |

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत यांत्रिक यान का स्वामी है और उस प्रकार उसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग पर यात्रा करने के लिए करता है, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कैलेंडर मास एक सौ पचास रुपए और नियम 5 के अनुसार वार्षिक रुप से पुनरीक्षित आधार दर पर फीस के संदाय पर ऐसे पास में विनिर्दिष्ट पथकर प्लाजा पार करने के लिए उसे अधिकृत करने वाला पास प्राप्त कर सकेगा ।

परंतु ऐसा पास तभी जारी किया जाएगा जब ऐसे यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, उस व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करता है और, यथास्थिति, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग विनिर्दिष्ट पथकर प्लाजा से अगले पथकर प्लाजा से आगे नहीं किया जाता है ।

परंतु यह और कि यदि किसी यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसा कोई पास जारी नहीं किया जाएगा ।

(4) ऐसे यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को कोई पास जारी नहीं किया जाएगा या उससे फीस संग्रहीत नहीं की जाएगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन के भाग का उपयोग करता है और पथकर प्लाजा को पार नहीं करता ।

10. अतिभराई के लिए फीस की दर – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा यांत्रिक यान, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन उसके प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार से लदा है, ऐसी दर पर फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा जो अगली उच्चतर श्रेणी के यांत्रिक यान के लिए लागू है :

परंतु अतिभराई के लिए ऐसी फीस का संदाय यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को उस राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने के लिए हकदार नहीं बनाएगा और उसका यान, उस यांत्रिक यान से अधिक भार हटाए जाने तक राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने या पथकर प्लाजा पार करने से निवारित होगा ।

(2) पथकर प्लाजा पर संस्थापित तुला चौकी पर यथा अभिलिखित यांत्रिक यान का भार इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए फीस उद्ग्रहण किए जाने का आधार होगा :

परंतु जहां पथकर प्लाजा पर कोई तुला चौकी संस्थापित नहीं की गई है, वहां इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी और यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति केवल ऐसे यान के लिए लागू फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

11. फीस के संदाय से छूट – (1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी -

(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं :-

i) भारत के राष्ट्रपति;
ii) भारत के उपराष्ट्रपति;
iii) भारत के प्रधान मंत्री ;
iv) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ;
v) राज्यपाल ;
vi) उप राज्यपाल ;
vii) संघ के मंत्री;
viii) मुख्य मंत्री ;
ix) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ;
x) राज्य सभा के सभापति ;
xi) लोक सभा अध्यक्ष ;
xii) राज्य विधान परिषद के सभापति ;
xiii) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष ;
xiv) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ;
xv) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ;
xvi) राज्यों के मंत्री ; और
xvii) सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ।

(ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है -

i) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो नौ सेना को भी विस्तारित किए गए हैं, के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं ;
ii) अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल ;
iii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट ;
iv) अग्नि शमन विभाग या संगठन ;
v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति जो ऐसे यान का प्रयोग निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन और रखरखाव के लिए कर रहा है ।

(ग) एंबुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान ।

12. सूचना का संप्रदर्शन – (1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, यांत्रिक यान से प्रभारित की जाने वाली फीस की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के एक-एक समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन है, प्रकाशित करेगा ।

IndiaCode

(2) निष्पादन प्राधिकारी पथकर प्लाजा से एक हजार मीटर पहले हिंदी और अंग्रेजी में और पथकर प्लाजा से पाँच सौ मीटर पहले अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में सहज रूप से निम्नलिखित को संप्रदर्शित करेगा ;

i) प्रत्येक वर्ग के यान के लिए संदेय फीस की रकम और नियम 9 के अधीन उपलब्ध रियायतें ;

ii) फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग ; और

iii) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही का नाम, पता और फोन या संपर्क नंबर ।

(3) संप्रदर्शन बोर्डों की ऊँचाई, उनकी गुणवत्ता और अक्षरों का आकार प्रयोक्ताओं के लिए सहज रूप से दृष्टव्य और पठनीय होगा ।

13. अनधिकृत संग्रहण – (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत अधिक फीस, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा और संग्रहीत अधिक फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि के साथ ऐसे प्राधिकारी या रियायतग्राही से उसकी वसूली कर सकेगा :

परंतु ऐसी अधिक फीस की वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक, यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(2) फीस के अप्राधिकृत संग्रहण से व्यथित यांत्रिक यान का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इस निमित्त, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उस शिकायत पर तीस दिन के भीतर अधिक संदाय के प्रतिदाय और ऐसे प्रयोक्ता को हुई असुविधा हेतु नुकसानियों के लिए आदेश पारित कर सकेगा ।

14. फीस का संदाय करने में असफलता – (1) यदि यांत्रिक यान का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस का संदाय नहीं करता है या संदाय करने से इंकार करता है तो उसके यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा यान यातायात के सामान्य प्रवाह को बाधा पहुंचाता है तो, यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही ऐसे बाधक यान को, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से हटवा सकेगा ।

(2) जहां, यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संदाय करने से इंकार करेगा या उसमें असफल रहेगा तो उसकी वसूली यांत्रिक यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी से की जाएगी ।